न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2015 निगरानी

1. गोविन्दसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी हामावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र ग्यारसी लाल जाति मीणा निवासी हामावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

2. ग्राम पंचायत पालून्दा पंचायत समिति लालसोट तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा गैरनिगरानीकार

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश पटटा देहानी ग्राम पंचायत पालूंदा पंचायत समिति लालसोट दिनांक 24.08.2001 जो प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 21.08.2001 की पालना में प्रचलित फरमाया गया अ.धा. 91 रा.प.अधि.

उपस्थिति : पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
: श्री लेखराज शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

—:निर्णय:— दिनांक: 09.01.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत पालूंदा पंचायत समिति लालसोट द्वारा ग्राम हापावास की आबादी भूमि में संकल्प संख्या 04 दिनांक 21.08.2001 पारित कर पटटा संख्या तीन दिनांक 24.08.2001 विपक्षी संख्या 01 के नाम प्रचलित फरमाया है। निगरानीकर्ता को दिनांक 18.06.1997 को प्रचलित 200 वर्गगज पटटा की भूमि में से विपक्षी सं. 01 के नाम दिनांक 24.08.2001 को पूर्व प्रचलित पटटा की भूमि मे से 20 X 20 फिट अर्थात 44.4 वर्गगज का पटटा जारी किया गया है। प्रश्नगत पटटा दिनांक 24.08.2001 में निर्दिष्ट भूमि निगरानीकर्ता को पूर्व प्रचलित पटटा दिनांक 18.06.1997 में निर्दिष्ट भूमि का आंशिक भू—भाग है। निगरानीकर्ता अपनी पटटाशुदा भूमि पर काब्जि है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता की पटटाशुदा भूमि को आबादी भूमि बताकर विपक्षी सं. 01 को विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। ग्राम पंचायत पालूंदा द्वारा प्रचलित उक्त पटटा दिनांक 24.08.2001 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में दिनांक 18.06.1997 को भी इसी भूमि का पटटा गोविन्द सिह पुत्र विजयसिहं के नाम जारी हो चुका था। इसी भूमि में से 20 X 20 वर्ग फुट का पटटा गैरनिगरानीकार सं. 1 गोविन्दा को दिनांक 24.08.2001 को जारी कर दिया गया है। पूर्व में पटटा होने कारण निगरानीकार द्वारा उक्त भूमि पर थडी रखने पर ज्ञात हुआ कि पटटे पर पटटा जारी कर दिया गया है। अतः प्रश्नगत पटटा दिनांक 24.08.2001 खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पटटा दिनांक 24.08.2001 विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। जब से उक्त पटटा जारी किया गया है तभी से गैरनिगरानीकार सं. 01 काब्जि है। उक्त भूमि गैरनिगरानीकार की अलग सेपरेट **(Separate)** भूमि है। पटटे के सन्दर्भ में प्रश्नगत भूमि की मौका रिपोर्ट ली गई है, नक्शा नजरी बनाया गया है, ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सभी वैधानिक कार्यवाही की गई है। निगरानीकार द्वारा एक भी दस्तावेज 400 वर्गगज का निगरानीकार का प्लाट होने बाबत पेश नही किया गया है। निगरानीकार द्वारा गैरनिगरानीकार को हैरान–परेशान करने बाबत निगरानी पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त प्रश्नगत पटटा दिनांक 24.08.2001 जारी किये जाने से पूर्व प्रश्नगत पटटा भूमि के सम्बन्ध में जांच नही किया जाना प्रतीत होता है। पूर्व में पट्टा जारी करने के पश्चात पुनः उसी भूमि का पट्टा अन्य किसी को जारी किया जाना उचित नही है। इसलिए प्रकरण ग्राम पंचायत पालूंदा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत पालूंदा पंचायत समिति लालसोट तहसील लालसोट द्वारा गैरनिगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पटटा दिनांक 24.08.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत पालूंदा पंचायत समिति लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक ०१.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा